

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the '*Committee on Publication Ethics*'

Online ISSN:2584-184X



Research Article

विकसित भारत @2047 की दिशा में डिजिटल मीडिया और महिला सशक्तिकरण: सामाजिक न्याय का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

विजय सिंह

शोधार्थी, बनस्थली विद्यापीठ, बनस्थली, राजस्थान, भारत

Corresponding Author: * विजय सिंह

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19606547>

सारांश

इक्कीसवीं सदी में डिजिटल मीडिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक प्रभावशाली निर्धारक बनकर उभरा है। भारतीय समाज, जो ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक संरचनाओं और लैंगिक असमानताओं से प्रभावित रहा है, वहाँ डिजिटल मीडिया महिला सशक्तिकरण के एक उभरते हुए माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह शोध-पत्र डिजिटल मीडिया और महिला सशक्तिकरण के अंतर्संबंधों का एक गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें लैंगिक असमानता की निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों तथा सामाजिक न्याय की संभावनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह तर्क प्रस्तुत करता है कि डिजिटल मीडिया महिलाओं के लिए शिक्षा, आर्थिक सहभागिता, सामाजिक पहचान और राजनीतिक अभिव्यक्ति के नए अवसर सृजित करता है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं में हाशिए पर रही हैं। साथ ही, यह शोध डिजिटल डिवाइड, साइबर हिंसा, ऑनलाइन निगरानी, डेटा के दुरुपयोग और संरचनात्मक बहिष्करण जैसी चुनौतियों को भी रेखांकित करता है, जो डिजिटल क्षेत्र में लैंगिक असमानताओं को नए रूपों में पुनः उत्पन्न करती हैं। 'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना के संदर्भ में यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि महिला सशक्तिकरण केवल तकनीकी विस्तार या डिजिटल पहुँच से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशी नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य हैं। अध्ययन यह प्रतिपादित करता है कि डिजिटल मीडिया तभी परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकता है, जब महिलाएँ डिजिटल परिवर्तन की मात्र उपभोक्ता न होकर उसकी सक्रिय सहभागी, निर्णयकर्ता और नेतृत्वकर्ता बनें। इस प्रकार, डिजिटल मीडिया के माध्यम से महिला सशक्तिकरण 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक केंद्रीय समाजशास्त्रीय आधार प्रस्तुत करता है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2584-184X
- Received: 30-01-2026
- Accepted: 14-04-2026
- Published: 16-04-2026
- MRR:4(SP1); 2026: 37-43
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

विजय सिंह. विकसित भारत @2047 की दिशा में डिजिटल मीडिया और महिला सशक्तिकरण: सामाजिक न्याय का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(SP1):37-43.

Access this Article Online



www.mrrjournal.in

मूल शब्द: डिजिटल मीडिया, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता, सामाजिक न्याय, विकसित भारत @2047.

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी को व्यापक रूप से "डिजिटल युग" अथवा "सूचना युग" के रूप में जाना जाता है, जिसमें डिजिटल मीडिया और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने सामाजिक जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। संचार की गति, सूचना की उपलब्धता और सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप में आए तीव्र परिवर्तनों ने न केवल आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं को बदला है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, सत्ता-संबंधों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से डिजिटल मीडिया को केवल तकनीकी नवाचार के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो ज्ञान, संसाधनों और अवसरों के वितरण को पुनर्संरचित करती है तथा सामाजिक असमानताओं को कभी चुनौती देती है तो कभी नए रूपों में पुनः उत्पन्न भी करती है।

भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक मूल्यों और संरचनात्मक लैंगिक असमानताओं से प्रभावित रहा है। शिक्षा, श्रम, राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की सीमित भागीदारी ने उनके सामाजिक स्थान और निर्णय-निर्माण की क्षमता को लंबे समय तक सीमित रखा। ऐसे संदर्भ में डिजिटल मीडिया महिलाओं के लिए एक वैकल्पिक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में उभरता है, जहाँ वे अभिव्यक्ति, संवाद और सामूहिकता के नए रूप विकसित कर सकती हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से महिलाएँ न केवल सूचना तक पहुँच बना रही हैं, बल्कि सामाजिक पहचान, आर्थिक अवसर और राजनीतिक सहभागिता की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं।

महिला सशक्तिकरण का प्रश्न समाजशास्त्र में केवल व्यक्तिगत प्रगति का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, समानता और सत्ता-संतुलन में परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। डिजिटल मीडिया इस प्रक्रिया में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, जो एक ओर महिलाओं के लिए नए अवसर खोलता है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल डिवाइड, साइबर हिंसा और संरचनात्मक बहिष्करण जैसी चुनौतियों भी उत्पन्न करता है। इसलिए डिजिटल मीडिया और महिला सशक्तिकरण के संबंध को न तो पूर्णतः मुक्तिदायक और न ही पूर्णतः बाधक मानकर समझा जा सकता है; यह एक द्वंद्वतात्मक सामाजिक प्रक्रिया है।

'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना केवल आर्थिक विकास या तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मूल उद्देश्य एक समावेशी, समानता मूलक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण है। इस लक्ष्य की प्राप्ति महिला सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। प्रस्तुत शोध-पत्र डिजिटल मीडिया के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं और चुनौतियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा यह विवेचना करता है कि किस प्रकार डिजिटल मीडिया लैंगिक असमानता को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रभावी साधन बन सकता है। इस प्रकार यह अध्ययन 'विकसित भारत @2047' के व्यापक सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण की केंद्रीयता को रेखांकित करता है।

डिजिटल मीडिया: समाजशास्त्रीय संदर्भ और संरचनात्मक प्रभाव

डिजिटल मीडिया को समाजशास्त्रीय दृष्टि से केवल सूचना के संप्रेषण का माध्यम नहीं माना जा सकता, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो सामाजिक संबंधों, सत्ता-संतुलन, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और पहचान-निर्माण की प्रक्रियाओं को गहराई से प्रभावित करती है। पारंपरिक समाजों में संचार के साधन सीमित और नियंत्रित रहे हैं, जहाँ सूचना का प्रवाह मुख्यतः राज्य, मीडिया संस्थानों या प्रभुत्वशाली सामाजिक समूहों के हाथों में केंद्रित था। डिजिटल मीडिया ने इस केंद्रीकरण को आंशिक रूप से चुनौती दी है और सूचना के उत्पादन व प्रसार को अपेक्षाकृत विकेंद्रीकृत किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवर्तन सार्वजनिक क्षेत्र के पुनर्गठन का संकेत देता है, जहाँ अधिक लोगों को अपनी आवाज़ व्यक्त करने का अवसर मिला है।

डिजिटल मीडिया का संरचनात्मक प्रभाव सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। यह तकनीक एक ओर सूचना और संवाद को लोकतांत्रिक बनाने की क्षमता रखती है, वहीं दूसरी ओर यह मौजूदा सामाजिक विषमताओं को पुनः उत्पन्न भी करती है। समाजशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि तकनीक स्वयं में तटस्थ नहीं होती; उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि समाज की संरचनाएँ जैसे वर्ग, जाति, लिंग और क्षेत्र उसे किस प्रकार ग्रहण करती हैं। भारतीय समाज में डिजिटल मीडिया का उपयोग शहरी, शिक्षित और आर्थिक रूप से सशक्त वर्गों में अधिक दिखाई देता है, जबकि ग्रामीण, गरीब और हाशिए पर स्थित समूह अब भी डिजिटल संसाधनों से वंचित हैं। इस प्रकार डिजिटल मीडिया सामाजिक विभाजन को कम करने के साथ-साथ कई बार उसे और गहरा भी कर देता है।

लैंगिक दृष्टि से देखा जाए तो डिजिटल मीडिया महिलाओं के लिए एक द्वंद्वतात्मक संरचना प्रस्तुत करता है। एक ओर यह महिलाओं को पारंपरिक घरेलू सीमाओं से बाहर निकलकर सार्वजनिक विमर्श में भागीदारी का अवसर देता है, वहीं दूसरी ओर पितृसत्तात्मक सामाजिक नियंत्रण और निगरानी के नए रूप भी विकसित करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म महिलाओं को आत्म-अभिव्यक्ति, नेटवर्क निर्माण और सामूहिक चेतना के विकास का मंच प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही साइबर उत्पीड़न, ट्रोलिंग और ऑनलाइन हिंसा जैसी समस्याएँ भी महिलाओं की डिजिटल उपस्थिति को सीमित करती हैं। समाजशास्त्रीय रूप से यह स्थिति दर्शाती है कि डिजिटल मीडिया भी सामाजिक सत्ता-संबंधों से मुक्त नहीं है, बल्कि वह उन्हें नए रूपों में पुनर्संरचित करता है।

डिजिटल मीडिया का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक प्रभाव पहचान के निर्माण और पुनर्निर्माण में दिखाई देता है। पारंपरिक समाज में महिलाओं की पहचान अक्सर परिवार, विवाह या समुदाय से निर्धारित होती रही है। डिजिटल मंचों ने महिलाओं को अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक पहचान गढ़ने का अवसर दिया है, जहाँ वे अपने अनुभव, विचार और संघर्ष साझा कर सकती हैं। यह प्रक्रिया समाजशास्त्रीय दृष्टि से प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के माध्यम से पहचान निर्माण को दर्शाती है, जिसमें व्यक्ति डिजिटल संवाद के ज़रिए स्वयं को परिभाषित करता है।

आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं पर भी डिजिटल मीडिया का गहरा प्रभाव पड़ा है। डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने श्रम, उपभोग और राजनीतिक सहभागिता के नए रूप विकसित किए हैं। महिलाएँ अब डिजिटल मीडिया के माध्यम से न केवल आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं, बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय व्यक्त कर रही हैं। हालाँकि, यह सहभागिता भी असमान है और डिजिटल साक्षरता, भाषा और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह संकेत देता है कि डिजिटल मीडिया सामाजिक परिवर्तन का स्वचालित साधन नहीं है, बल्कि यह मौजूदा संरचनाओं के भीतर कार्य करता है।

इस प्रकार, डिजिटल मीडिया का समाजशास्त्रीय संदर्भ और संरचनात्मक प्रभाव यह स्पष्ट करता है कि यह एक साथ अवसर और चुनौती—दोनों प्रस्तुत करता है। यह महिलाओं और अन्य हाशिए के समूहों को दृश्यता और आवाज़ प्रदान कर सकता है, किंतु बिना समावेशी नीतियों और सामाजिक संवेदनशीलता के यह नई प्रकार की असमानताओं को भी जन्म दे सकता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से डिजिटल मीडिया को एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में तभी समझा जा सकता है, जब उसे सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और संरचनात्मक सुधारों के व्यापक संदर्भ में देखा जाए।

महिला सशक्तिकरण: एक समाजशास्त्रीय समझ

महिला सशक्तिकरण को समाजशास्त्रीय दृष्टि से केवल व्यक्तिगत उन्नति या संसाधनों की उपलब्धता के रूप में नहीं समझा जा सकता, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक-संरचनात्मक प्रक्रिया है, जो सत्ता-संबंधों, सांस्कृतिक मान्यताओं और संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन से जुड़ी हुई है। समाजशास्त्र यह मानता है कि महिलाओं की स्थिति किसी एक कारक का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, शिक्षा और आर्थिक संरचना जैसे अनेक सामाजिक तत्वों की पारस्परिक अंतःक्रिया से निर्मित होती है। इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण का प्रश्न सामाजिक न्याय और समानता की व्यापक बहस का अभिन्न अंग है।

समाजशास्त्रीय विमर्श में सशक्तिकरण को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, न कि एक स्थिर अवस्था के रूप में। इसका तात्पर्य यह है कि महिलाएँ धीरे-धीरे अपने जीवन से जुड़े निर्णयों पर नियंत्रण स्थापित करती हैं और उन सामाजिक ढाँचों को चुनौती देती हैं, जो उन्हें अधीनस्थ स्थिति में रखते हैं। यह प्रक्रिया चेतना के विकास से प्रारंभ होती है, जहाँ महिलाएँ अपने अधिकारों, अवसरों और सामाजिक स्थिति के प्रति जागरूक होती हैं। यह जागरूकता आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जन्म देती है, जो आगे चलकर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आधार बनती है।

महिला सशक्तिकरण के आयामों को समाजशास्त्रीय दृष्टि से बहुआयामी माना जाता है। शैक्षिक सशक्तिकरण ज्ञान, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक गतिशीलता की नींव रखता है। आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं को आय, संसाधनों और संपत्ति पर नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ होती है। सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण पहचान, गरिमा और सामाजिक मान्यता से जुड़ा है, जबकि राजनीतिक सशक्तिकरण

निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करता है। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

भारतीय समाज के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना की भूमिका पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। पितृसत्ता केवल पुरुष वर्चस्व की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं और संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करने वाली एक संरचनात्मक शक्ति है। शिक्षा, श्रम बाजार, परिवार और राजनीति—इन सभी क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मूल्य महिलाओं की भागीदारी को सीमित करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से महिला सशक्तिकरण का अर्थ इन संरचनाओं को चुनौती देना और वैकल्पिक सामाजिक संबंधों का निर्माण करना है।

नारीवादी समाजशास्त्र महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता है। यह दृष्टिकोण इस तथ्य पर बल देता है कि महिलाओं के अनुभव, ज्ञान और संघर्षों को सामाजिक विश्लेषण का केंद्र बनाया जाना चाहिए। नारीवादी सिद्धांत यह तर्क प्रस्तुत करता है कि सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाएँ केवल नीतियों की लाभार्थी न रहकर सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय एजेंट बनें। इस संदर्भ में महिला सशक्तिकरण को अधिकार, स्वायत्तता और समानता की व्यापक परियोजना के रूप में देखा जाता है।

आधुनिक समाजशास्त्रीय विमर्श में क्षमता दृष्टिकोण महिला सशक्तिकरण को समझने का एक महत्वपूर्ण ढाँचा प्रस्तुत करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सशक्तिकरण का अर्थ केवल संसाधनों की उपलब्धता नहीं, बल्कि उन संसाधनों का उपयोग कर सार्थक और सम्मानजनक जीवन जीने की वास्तविक क्षमता है। महिलाएँ तब सशक्त मानी जा सकती हैं, जब वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, अभिव्यक्ति और निर्णय-निर्माण के अवसरों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। यह दृष्टिकोण सशक्तिकरण को मानव विकास और सामाजिक न्याय से जोड़ता है।

इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण की समाजशास्त्रीय समझ यह स्पष्ट करती है कि यह एक जटिल, बहुआयामी और सतत प्रक्रिया है, जिसे केवल कानूनी सुधारों या तकनीकी साधनों के माध्यम से पूर्ण नहीं किया जा सकता। वास्तविक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक मूल्यों और संरचनात्मक व्यवस्थाओं में परिवर्तन आवश्यक है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से महिला सशक्तिकरण तभी सार्थक होगा, जब महिलाओं को न केवल अवसर मिलें, बल्कि वे उन अवसरों का उपयोग कर अपने जीवन और समाज को रूपांतरित करने की क्षमता भी प्राप्त करें।

डिजिटल मीडिया और महिला सशक्तिकरण की संभावनाएँ

डिजिटल मीडिया ने महिलाओं के सशक्तिकरण की संभावनाओं को अभूतपूर्व रूप से विस्तारित किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से डिजिटल मीडिया केवल सूचना के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सहभागिता, पहचान-निर्माण और सत्ता-संबंधों के पुनर्गठन का एक प्रभावशाली मंच है। पारंपरिक भारतीय समाज में जहाँ महिलाओं की आवाज़ प्रायः निजी क्षेत्र तक सीमित रही है, वहीं डिजिटल मीडिया ने उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश का एक वैकल्पिक

मार्ग प्रदान किया है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, वीडियो प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से महिलाएँ अपने विचार, अनुभव और संघर्षों को साझा कर रही हैं, जिससे उनके सामाजिक अस्तित्व को नई दृश्यता प्राप्त हो रही है।

शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में डिजिटल मीडिया महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण संभावना प्रस्तुत करता है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वेबिनार, डिजिटल लाइब्रेरी और शैक्षिक चैनलों के माध्यम से महिलाएँ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा तक पहुँच बना रही हैं। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सामाजिक, पारिवारिक या भौगोलिक कारणों से पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था से बाहर रह गई थीं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह प्रक्रिया ज्ञान के लोकतंत्रीकरण और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, जिससे महिलाएँ अपने जीवन विकल्पों को पुनर्परिभाषित करने में सक्षम होती हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में डिजिटल मीडिया महिलाओं के लिए नए अवसर उत्पन्न करता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और डिजिटल सेवाओं ने महिलाओं को घर से कार्य करने और उद्यमिता की ओर बढ़ने का अवसर दिया है। यह परिवर्तन पारंपरिक कार्य-संरचनाओं को चुनौती देता है, जहाँ महिलाओं की आर्थिक गतिविधियाँ घरेलू और अवैतनिक श्रम तक सीमित रही थीं। समाजशास्त्रीय रूप से यह स्थिति महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता और निर्णय-निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है।

डिजिटल मीडिया सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ऑनलाइन मंचों के माध्यम से महिलाएँ लैंगिक हिंसा, भेदभाव, स्वास्थ्य और अधिकारों जैसे मुद्दों पर सामूहिक रूप से संगठित हो रही हैं। #MeToo जैसे डिजिटल अभियानों ने व्यक्तिगत अनुभवों को सार्वजनिक विमर्श में बदलकर सामूहिक चेतना का निर्माण किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से ऐसे डिजिटल आंदोलन सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय एजेंसी को दर्शाते हैं, जहाँ वे न केवल पीड़िता की भूमिका में होती हैं, बल्कि परिवर्तन की वाहक भी बनती हैं।

राजनीतिक सहभागिता के क्षेत्र में भी डिजिटल मीडिया महिला सशक्तिकरण की नई संभावनाएँ प्रस्तुत करता है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक होने, अपनी राय व्यक्त करने और नीति-विमर्श में भाग लेने का अवसर देते हैं। यह स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को दर्शाती है, जहाँ पहले हाशिए पर रखी गई आवाज़ें अब अधिक सशक्त रूप में उभर रही हैं। डिजिटल नागरिकता के माध्यम से महिलाएँ प्रशासन और शासन के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर सकती हैं, जिससे लोकतांत्रिक सहभागिता को मजबूती मिलती है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल मीडिया महिलाओं के लिए सामाजिक नेटवर्क और समर्थन तंत्र के निर्माण में भी सहायक है। ऑनलाइन समुदाय, सहायता समूह और नेटवर्क महिलाओं को भावनात्मक समर्थन, जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण, कामकाजी या सामाजिक रूप से अलग-थलग महिलाओं के लिए ये डिजिटल नेटवर्क सामाजिक पूंजी के विस्तार का कार्य करते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह सामाजिक पूंजी महिलाओं को

व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस प्रकार डिजिटल मीडिया और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध संभावनाओं से परिपूर्ण है। डिजिटल मीडिया महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक पहचान और राजनीतिक सहभागिता के नए अवसर प्रदान करता है। हालाँकि, इन संभावनाओं का पूर्ण लाभ तभी संभव है जब डिजिटल पहुँच, साक्षरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। समाजशास्त्रीय दृष्टि से डिजिटल मीडिया महिला सशक्तिकरण का एक प्रभावी माध्यम तभी बन सकता है, जब उसे सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशन के व्यापक संदर्भ में विकसित किया जाए।

लैंगिक असमानता और डिजिटल चुनौतियाँ

डिजिटल युग में यह व्यापक रूप से माना जाता है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल मीडिया सामाजिक असमानताओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं, किंतु समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि डिजिटल विस्तार ने लैंगिक असमानता को समाप्त करने के बजाय कई बार उसे नए और अधिक जटिल रूपों में पुनः उत्पन्न किया है। लैंगिक असमानता केवल तकनीकी पहुँच की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि यह गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और संरचनात्मक कारकों से जुड़ी हुई है, जो डिजिटल क्षेत्र में भी उसी प्रकार कार्यरत रहते हैं जैसे वे पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं में दिखाई देते हैं।

डिजिटल डिवाइड लैंगिक असमानता का सबसे प्रत्यक्ष रूप है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच पुरुषों की तुलना में कम पाई जाती है, विशेषकर ग्रामीण, आदिवासी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में। यह अंतर केवल संसाधनों की उपलब्धता से नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा के स्तर और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। अनेक परिवारों में महिलाओं के मोबाइल और इंटरनेट उपयोग पर निगरानी या प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे वे डिजिटल अवसरों का पूरा लाभ नहीं उठा पातीं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह स्थिति दर्शाती है कि डिजिटल तकनीक मौजूदा पितृसत्तात्मक संरचनाओं के भीतर ही कार्य कर रही है।

डिजिटल साक्षरता की कमी भी लैंगिक असमानता को और गहरा करती है। तकनीक तक सीमित पहुँच के कारण महिलाएँ डिजिटल कौशल, ऑनलाइन सुरक्षा और सूचना के आलोचनात्मक उपयोग से वंचित रह जाती हैं। इससे वे न केवल डिजिटल सेवाओं का सीमित उपयोग करती हैं, बल्कि गलत सूचना, धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। समाजशास्त्रीय रूप से यह स्थिति "तकनीकी बहिष्करण" को दर्शाती है, जहाँ विकास के साधन सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाते।

साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न डिजिटल क्षेत्र में लैंगिक असमानता की एक गंभीर चुनौती है। ट्रोलिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल, चरित्र-हनन और लैंगिक अपमान जैसी घटनाएँ महिलाओं की डिजिटल भागीदारी को सीमित करती हैं। कई महिलाएँ इन खतरों के भय से आत्म-संश्लेषण अपनाते हैं या डिजिटल मंचों से दूरी बना लेती हैं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह दर्शाता है कि डिजिटल

स्पेस भी पितृसत्तात्मक सत्ता-संबंधों से मुक्त नहीं है, बल्कि कई बार यह नियंत्रण और दमन के नए रूपों को जन्म देता है।

डेटा गोपनीयता और डिजिटल निगरानी भी महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग, एल्गोरिदमिक पक्षपात और अनधिकृत निगरानी महिलाओं की निजता और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। विशेष रूप से हाशिए की महिलाओं के लिए यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है, क्योंकि वे अक्सर कानूनी संरक्षण और डिजिटल अधिकारों की जानकारी से वंचित रहती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह समस्या सत्ता और नियंत्रण के प्रश्न से जुड़ी हुई है, जहाँ तकनीक का उपयोग निगरानी और अनुशासन के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी भी असमान है। प्लेटफॉर्म आधारित कार्यों में महिलाएँ प्रायः कम पारिश्रमिक, असुरक्षित कार्य स्थितियों और अदृश्य श्रम का सामना करती हैं। घरेलू कार्यभार और देखभाल की जिम्मेदारियाँ उनकी डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूर्ण भागीदारी को सीमित करती हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह स्थिति दर्शाती है कि तकनीकी नवाचार के बावजूद श्रम का लैंगिक विभाजन बना हुआ है।

इस प्रकार लैंगिक असमानता और डिजिटल चुनौतियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि डिजिटल मीडिया और ICT अपने आप में सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं हैं। तकनीक तभी सशक्तिकरण का माध्यम बन सकती है, जब डिजिटल पहुँच के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, कानूनी संरक्षण और लैंगिक संवेदनशील नीतियों को समान महत्व दिया जाए। समाजशास्त्रीय दृष्टि से वास्तविक डिजिटल समानता तभी संभव है, जब तकनीकी विकास को सामाजिक संरचनाओं में परिवर्तन के साथ जोड़ा जाए, ताकि डिजिटल क्षेत्र महिलाओं के लिए भी समान अवसर और गरिमा का स्थान बन सके।

सामाजिक न्याय, डिजिटल समावेशन और नीति की भूमिका

डिजिटल युग में सामाजिक न्याय का प्रश्न केवल संसाधनों के वितरण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह इस बात से भी जुड़ गया है कि कौन-कौन समूह डिजिटल परिवर्तन की प्रक्रियाओं में भागीदारी कर पा रहे हैं और कौन उनसे बाहर रह जा रहे हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से सामाजिक न्याय का अर्थ है समान अवसर, गरिमा और अधिकारों तक वास्तविक पहुँच। डिजिटल मीडिया और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इस दिशा में नए अवसर प्रदान करती हैं, किंतु यदि इनका विकास असमान और असमावेशी हो, तो यह सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के बजाय नई प्रकार की विषमताओं को जन्म दे सकता है। इसलिए डिजिटल समावेशन और नीति की भूमिका इस विमर्श में केंद्रीय महत्व रखती है।

डिजिटल समावेशन का अर्थ केवल इंटरनेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि इसमें डिजिटल साक्षरता, भाषा-आधारित पहुँच, सांस्कृतिक अनुकूलता और सुरक्षित डिजिटल वातावरण भी शामिल हैं। समाजशास्त्रीय रूप से देखा जाए तो डिजिटल समावेशन उन सामाजिक समूहों विशेषकर महिलाओं, ग्रामीण आबादी, आदिवासी समुदायों और अन्य हाशिए के वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सूचना, शिक्षा और सत्ता से वंचित रखा गया है। जब महिलाएँ डिजिटल माध्यमों के ज़रिए शिक्षा, स्वास्थ्य,

रोज़गार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुँच बनाती हैं, तो यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक ठोस कदम होता है।

हालाँकि, डिजिटल समावेशन स्वतः घटित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए राज्य और नीति-निर्माताओं की सक्रिय भूमिका आवश्यक होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से राज्य को केवल तकनीकी अवसंरचना विकसित करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे डिजिटल असमानताओं के सामाजिक कारणों को भी संबोधित करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं के लिए, डिजिटल समावेशन की आधारशिला हैं। जब तक महिलाएँ तकनीक का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करना नहीं सीखेंगी, तब तक डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता भी सीमित प्रभाव ही डाल पाएगी।

नीतिगत हस्तक्षेप सामाजिक न्याय को डिजिटल परिवर्तन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लैंगिक संवेदनशील डिजिटल नीतियाँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि महिलाएँ केवल डिजिटल सेवाओं की लाभार्थी न रहें, बल्कि उनकी संरचना और क्रियान्वयन में भी भागीदार बनें। उदाहरण स्वरूप, ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा और डिजिटल वित्तीय समावेशन की नीतियों में यदि महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए, तो वे सशक्तिकरण का प्रभावी साधन बन सकती हैं। समाजशास्त्रीय रूप से यह प्रक्रिया सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देती है।

डिजिटल न्याय की अवधारणा इस विमर्श को और गहराई प्रदान करती है। डिजिटल न्याय का अर्थ है डिजिटल क्षेत्र में समान अधिकार, सुरक्षा और अवसर सुनिश्चित करना। साइबर हिंसा, डेटा गोपनीयता और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर प्रभावी नीतियाँ और कानूनी ढाँचा महिलाओं के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह सुरक्षा केवल तकनीकी नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास और भागीदारी के लिए भी आवश्यक है।

इस प्रकार सामाजिक न्याय, डिजिटल समावेशन और नीति की भूमिका परस्पर गहराई से जुड़ी हुई हैं। डिजिटल मीडिया तभी सामाजिक न्याय का माध्यम बन सकता है, जब डिजिटल समावेशन को नीति-निर्माण का केंद्रीय लक्ष्य बनाया जाए और लैंगिक समानता को डिजिटल विकास की आधारशिला माना जाए। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह स्पष्ट है कि एक न्यायपूर्ण डिजिटल समाज का निर्माण केवल तकनीकी नवाचार से नहीं, बल्कि समावेशी नीतियों, सामाजिक संवेदनशीलता और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ तकनीक को जोड़ने से ही संभव है।

विकसित भारत @2047: महिला सशक्तिकरण की केंद्रीयता

'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना केवल आर्थिक समृद्धि या तकनीकी उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जहाँ सभी नागरिकों को समान अवसर, गरिमा और सहभागिता प्राप्त हो। समाजशास्त्रीय दृष्टि से किसी भी राष्ट्र का विकास तब तक पूर्ण नहीं माना जा सकता, जब तक उसकी आधी आबादी महिलाएँ विकास की प्रक्रियाओं में समान और सक्रिय भागीदारी न करें। इस संदर्भ में महिला सशक्तिकरण 'विकसित भारत @2047' का एक परिधीय नहीं, बल्कि केंद्रीय घटक है।

भारतीय समाज में लैंगिक असमानता ऐतिहासिक और संरचनात्मक रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम बाजार और राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की सीमित भागीदारी ने सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को प्रभावित किया है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह दर्शाता है कि जब महिलाओं को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार, समुदाय और राष्ट्र सभी स्तरों पर सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। इस दृष्टि से महिला सशक्तिकरण को विकास की पूर्वशर्त के रूप में देखा जाना चाहिए।

डिजिटल मीडिया और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक सहभागिता और राजनीतिक अभिव्यक्ति के नए अवसर प्रदान करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए की महिलाओं के लिए डिजिटल माध्यम पारंपरिक बाधाओं को पार करने का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। समाजशास्त्रीय रूप से यह प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता और सत्ता-संबंधों के पुनर्संयोजन का संकेत देती है।

महिला नेतृत्व 'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना में विशेष महत्व रखता है। नेतृत्व केवल औपचारिक पदों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह निर्णय-निर्माण, नवाचार और सामाजिक दिशा-निर्धारण से जुड़ा होता है। डिजिटल मंचों ने नेतृत्व के नए रूप विकसित किए हैं, जहाँ महिलाएँ सोशल मीडिया, डिजिटल उद्यमिता और ऑनलाइन आंदोलनों के माध्यम से प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह परिवर्तन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भविष्य का नेतृत्व अधिक नेटवर्क-आधारित, सहभागी और समावेशी होगा।

हालाँकि, महिला सशक्तिकरण को केंद्रीय बनाने के लिए केवल तकनीकी विस्तार पर्याप्त नहीं है। इसके लिए लैंगिक संवेदनशील नीतियाँ, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित डिजिटल वातावरण और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है। यदि डिजिटल विकास मौजूदा असमानताओं को अनदेखा करता है, तो 'विकसित भारत' का लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। समाजशास्त्रीय विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि समावेशी विकास तभी संभव है, जब महिलाओं को नीति-निर्माण और कार्यान्वयन दोनों में समान भागीदारी प्राप्त हो।

इस प्रकार 'विकसित भारत @2047' की परिकल्पना में महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक लक्ष्य नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य शर्त है। डिजिटल मीडिया और ICT के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक पहचान और नेतृत्व के अवसर प्रदान कर भारत एक ऐसे विकास पथ पर अग्रसर हो सकता है, जो न केवल तेज़, बल्कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ भी हो। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यही वह आधार है, जिस पर एक सशक्त, समावेशी और विकसित भारत का निर्माण संभव है।

सन्दर्भ:

1. आहूजा, राम. (2014). भारतीय समाज. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।

2. आहूजा, राम. (2016). समाजशास्त्र के सिद्धांत. जयपुर: रावत पब्लिकेशन।
3. देसाई, ए. आर. (2011). भारतीय समाज का समाजशास्त्र. नई दिल्ली: पॉपुलर प्रकाशन।
4. दुबे, श्यामाचरण. (2004). परंपरा, आधुनिकता और परिवर्तन. नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
5. जोशी, माया. (2018). महिला अध्ययन: सिद्धांत और व्यवहार. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन।
6. पाण्डेय, राजेंद्र. (2017). सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।
7. शर्मा, शशि. (2019). डिजिटल मीडिया और भारतीय समाज. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन।
8. सिंह, सीमा. (2016). महिला, मीडिया और समाज. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन।
9. सिंह, योगेन्द्र. (2007). आधुनिक भारतीय समाज. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. सिंह, योगेन्द्र. (2012). सामाजिक परिवर्तन: सिद्धांत एवं यथार्थ. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
11. भार्गव, राजीव. (2010). सामाजिक न्याय और भारतीय लोकतंत्र. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
12. कुमार, विवेक. (2015). जाति, लैंगिकता और सामाजिक असमानता. नई दिल्ली: सेज प्रकाशन।
13. मिश्र, कैलाशचंद्र. (2018). महिला सशक्तिकरण: भारतीय परिप्रेक्ष्य. वाराणसी: भारतीय ज्ञानपीठ।
14. तिवारी, प्रमिला. (2019). डिजिटल युग में महिला चेतना. लखनऊ: नवलेख प्रकाशन।
15. भारत सरकार. (2023). विकसित भारत @2047: दृष्टि दस्तावेज़. नई दिल्ली: नीति आयोग।
16. नीति आयोग. (2022). SDGs, Gender Equality and Digital Inclusion in India. नई दिल्ली: भारत सरकार।
17. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP). (2021). भारत में लैंगिक समानता और डिजिटल परिवर्तन. नई दिल्ली: यूएनडीपी इंडिया।
18. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO). (2019). शिक्षा और डिजिटल पहुँच पर रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।
19. राष्ट्रीय महिला आयोग. (2020). महिला अधिकार और डिजिटल सुरक्षा. नई दिल्ली: भारत सरकार।
20. Anderson B. Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Rev ed. London: Verso; 2006.
21. Castells M. The rise of the network society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell; 2010.
22. Castells M. Networks of outrage and hope: social movements in the internet age. Cambridge: Polity Press; 2012.
23. Sen A. Development as freedom. Oxford: Oxford University Press; 1999.
24. Nussbaum MC. Creating capabilities: the human development approach. Cambridge: Harvard University Press; 2011.

25. Kabeer N. Resources, agency, achievements: reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*. 1999;30(3):435–464. Available from: <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
26. UN Women. *Gender equality and women's empowerment in the digital age*. United Nations; 2020.
27. UNESCO. *I'd blush if I could: closing gender divides in digital skills through education*. Paris: UNESCO Publishing; 2019.
28. World Bank. *World development report 2016: digital dividends*. Washington, DC: World Bank Publications; 2016.
29. GSMA. *The mobile gender gap report*. GSM Association; 2020.
30. Huyer S, Carr M. *Information technology and women's empowerment*. United Nations Development Programme; 2002.
31. True J. *The political economy of violence against women*. Oxford: Oxford University Press; 2016.
32. Gurumurthy A, Chami N. *Gender equality in the information society*. IT for Change; 2014.
33. Gurumurthy A. *Digital empowerment: opportunities and challenges for women*. *Economic and Political Weekly*. 2018;53(17):43–49.
34. Bhatia R, Bhabha J. *India's digital divide and gender inequality*. *Harvard Human Rights Journal*. 2017;30:1–29.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

Disclaimer: The views, opinions, statements, and conclusions expressed in the papers, abstracts, presentations, and other scholarly contributions included in this conference are solely those of the respective authors. The organisers and publisher shall not be held responsible for any loss, harm, damage, or consequences — direct or indirect — arising from the use, application, or interpretation of any information, data, or findings published or presented in this conference. All responsibility for the originality, authenticity, ethical compliance, and correctness of the content lies entirely with the respective authors.